

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 678 दिनांक:- 19.6.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- ग्राम-बोंडा, थाना-हंटरगंज-133, खाता नं०-85 प्लॉट नं०-40 पर 132/3 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे० अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 985 दिनांक 10.06.2019

महाशय,

प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना 132/33 K.V ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे० में	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा हे० में	कुल रकबा हे० में	वनस्पति घनत्व
1	चतरा उत्तरी	4.04	शून्य	4.04	0.4

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है। अनु०-4
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार निम्नवत् है :-

चतरा उत्तरी वन प्रमंडल

अनु०-5

क्र० सं०	Block	District	Mauza	Thana & No	Khata No.	Plot No.	Area (He)	Type of Land
1.	हंटरगंज	चतरा	बोंडा	हंटरगंज/133	85	40	4.04	P.F. Land

4. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा उत्तरी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
अनु०-21, एवं 22

5. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

6. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। अनु०-17

7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ग्रिड सब-स्टेशन का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है।
अनु०-19

8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। अनु०-6

9. प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 948 है, प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है अनु0-18
10. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है। अनु0-9
11. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, चतरा का F.R.A प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है इस हेतु U/A द्वारा वचनबद्धता दी गई है। अनु0-15
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। अनु0-10
13. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 16.06.2011 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है। कि *"compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall not be insisted upon"*
14. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
15. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्ति होने पर अलग से भेजा जायेगा।
16. वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा उत्तरी ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।
17. प्रस्तावित वन भूमि चतरा जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No. 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के तहत यह जिला L.W.E. के रूप में संसूचित है।
18. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 4.04 हे० मात्र अधिसूचित वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

19.06.2011
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K.A.
19.6.11

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*CONSTRUCTION OF 132/33 KV G/S/S/ AT HUNTERGANJ, VILLAGE-
BONRA, UNDER TRANSMISSION CIRCLE, HAZARIBAGH 4.04 ha.*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.04 ha. Forest land.

Date :- 19.06.2019

Place :- Ranchi.

Signature

Shashi Nandkeolyar
(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)